पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की दिवानी विविध अधिकारिकता मामला संख्या-382

==

दीनानाथ प्रसाद, पुत्र-स्व० रामा प्रसाद, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज।

..............याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. जय प्रकाश सिंह, पुत्र-स्व० योगेन्द्र सिंह, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज।

2. मुन्ना पटेल, पुत्र-स्व० रामा प्रसाद, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज।

3. प्रकाश सिंह, पुत्र-ज्ञानेन्द्र सिंह, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान में 17/10 सेक्टर 29, नोएडा-201301.

4. मुस्मात किरन सिंह, पत्नी-अशोक सिंह, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान सेन्ट्रल पार्क, 1 एच 304 सेक्टर 42, गुडगांव-122099.

5.1. अजित सिंह, पुत्र-स्व० नागेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी, ग्राम-बढेया, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान में मयूर भवन, रोड सं०-6, राजेन्द्र नगर, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना।

5.2. शेखर सिंह, पुत्र-स्व० नागेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी, ग्राम-बढेया, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान में मयूर भवन, रोड सं०-6, राजेन्द्र नगर, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना।

5.3. सुधीर सिंह, पुत्र-स्व० नागेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी, ग्राम-बढेया, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान में मयूर भवन, रोड सं०-6, राजेन्द्र नगर, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना।

.........प्रतिवादी/ओं

==

साथ में

2017 की विविध दिवानी अधिकारिकता मामला संख्या-1825

==

दीनानाथ प्रसाद, पुत्र-स्व० रामा प्रसाद, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज।

..............याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. जय प्रकाश सिंह, पुत्र-स्व० योगेन्द्र सिंह, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज।
2. मुन्ना पटेल, पुत्र-स्व० रामा प्रसाद, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज।
3. प्रकाश सिंह, पुत्र-ज्ञानेन्द्र सिंह, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान में 17/10 सेक्टर 29, नोएडा-201301.
4. मुस्मात किरन सिंह, पत्नी-अशोक सिंह, निवासी, ग्राम-बोधेया, डाकघर-बढेया, वाया-हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान सेन्ट्रल पार्क, 1 एच 304 सेक्टर 42, गुडगांव-122099.

5.1. अजित सिंह, पुत्र-स्व० नागेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी, ग्राम-बढेया, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान में मयूर भवन, रोड सं०-6, राजेन्द्र नगर, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना।

5.2. शेखर सिंह, पुत्र-स्व० नागेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी, ग्राम-बढेया, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान में मयूर भवन, रोड सं०-6, राजेन्द्र नगर, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना।

5.3. सुधीर सिंह, पुत्र-स्व० नागेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी, ग्राम-बढेया, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। वर्तमान में मयूर भवन, रोड सं०-6, राजेन्द्र नगर, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना।

.........प्रतिवादी/ओं

==

उपस्थितिः

(2018 की विविध दिवानी अधिकारिता मामला संख्या-382)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री रघीब एहसान, वरीय अधिवक्ता
		श्री रामाधर शेखर, अधिवक्ता
		श्री विनय कुमार सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या-5 के लिए	:	श्री जे.एस. अरोड़ा, वरीय अधिवक्ता
		श्री राघवानन्द, अधिवक्ता
		श्री रजनीश शांडिल्य, अधिवक्ता
		श्री प्रतिक कुमार, अधिवक्ता

(2017 की विविध दिवानी अधिकारिता मामला संख्या-1825)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री रघीब एहसान, वरीय अधिवक्ता श्री रामाधर शेखर, अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या-5 के लिए	:	श्री जे.एस. अरोड़ा, वरीय अधिवक्ता श्री राघवानन्द, अधिवक्ता श्री रजनीश शांडिल्य, अधिवक्ता श्री प्रतिक कुमार, अधिवक्ता

===

भारतीय संविधान--अनुच्छेद 227---सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908---धारा 152, 151---आवश्यक पक्षकारों का गैर-सम्मिलन---विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने की याचिका जिसके तहत दिनांक 24.02.1951 को एक शीर्षक विभाजन मुकदमे में समझौता डिक्री को लगभग 65 वर्षों के बाद संशोधित करने की अनुमति दी गई थी---यह दलील कि विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए और याचिकाकर्ता या मुकदमे के सभी पक्षों को नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया था--आगे तर्क यह है कि शीर्षक मुकदमे के समझौता डिक्री में किया गया संशोधन याचिकाकर्ता के हित के लिए अत्यधिक प्रतिकूल होगा जिसके परिणामस्वरूप अपूरणीय क्षति होगी--- निर्णय: आदेश पत्र के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि वाद के पक्षकारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है तथा मूल प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से उसके वकील को सुनने के पश्चात दायर याचिका पर ही आदेश पारित किया गया है - याचिकाकर्ता एक आवश्यक पक्षकार था, क्योंकि वह वह व्यक्ति था जो विद्वान विचारण न्यायालय के कार्य से सीधे प्रभावित होने वाला था, विचाराधीन संपत्ति का क्रेता होने के नाते, विद्वान विचारण न्यायालय को एक क्षण रुककर विचार करना चाहिए था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में अर्जित मूल्यवान अधिकार विद्वान विचारण न्यायालय के जल्दबाजीपूर्ण कार्य द्वारा कुचले जा रहे हैं - विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है - मामले को नए सिरे से विचार के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाता है। (पैरा 9-11)

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण कुमार झा

मौखिक निर्णय

तिथि: 06-05-2024

<u>2018 की विविध दिवानी अधिकारिता मामला संख्या-382</u>

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ-साथ प्रतिस्थापित प्रतिवादी संख्या 5 को भी सुना गया हालांकि अन्य प्रतिवादीगण भी इस मामले में उपस्थित हुए लेकिन आज उनकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि मामला के लंबे समय से लंबित होने के कारण इसे सिविल विविध संख्या 1825/2017 के साथ निपटाने के लिए लिया गया है।

2. वर्तमान संचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान उप न्यायाधीश-1, गोपालगंज द्वारा स्वत्व वाद संख्या-32/1946 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसके तहत विद्वान उप न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 152 सहपठित धारा 151 के तहत दिनांक 03.03.2016 को दायर याचिका को स्वीकार किया।

3. संक्षेप में कहा जाए तो मामला का तथ्य यह है कि 1946 के स्वत्व वाद संख्या-32 को दिनांक 24.02.1951 के आदेश के तहत समझौते के आधार पर निपटाया गया और समझौता डिक्री का हिस्सा बनाया गया, जिसे दिनांक 24.02.1951 को सीलबंद और हस्ताक्षरित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि समझौता डिक्री के आधार पर, मुकदमा के पक्षकारों को उनके आवंटित भूमि पर संबंधित कब्जा प्राप्त हुआ। हालांकि, खाता संख्या 78, प्लॉट संख्या 632, क्षेत्रफल 2 कठठा 10 धूर प्रतिवादी संख्या 11, अर्थात, कौशल किशोर नारायण को आवंटित किया गया था, जिनकी अविवाहित मृत्यु हो गई थी तथा अन्य संपतियों के साथ उक्त संपति उनके दो भाइयों, अर्थात् प्रकाश प्रसाद सिंह, (प्रतिवादी संख्या 12) और अशोक प्रसाद सिंह, (प्रतिवादी संख्या 14) के हिस्से में आई थी। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 और 4 जो कौशल किशोर नारायण के भाई और भाभी हैं, ने याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 16.03.2009 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया और याचिकाकर्ता को कब्जा सौंप दिया। स्वत्व वाद संख्या 32/1946 के वादी संख्या 2 के चचेरे भाई ने उपरोक्त बिक्री विलेख के खिलाफ स्वत्व वाद संख्या 169/1913 इस आधार पर दायर किया कि आवेदक के बिक्रेताओं को बिक्री विलेख

निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें उपहार विलेख के जरिए जमीन मिली है। जबकि स्वत्व वाद संख्या 169/2013 लंबित था, मूल प्रतिवादी संख्या 5/मूल प्रतिवादी संख्या 9 ने दिनांक 03.03.2016 को संहिता की धारा 152 सहपठित धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर की जिसमें स्वत्व वाद संख्या 32/1946 में पारित समझौता डिक्री को संशोधित करने और अनुसूची 5(ई) से प्लॉट संख्या 632 को हटाने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन को दिनांक 05.04.2016 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रागिब एहसान का कहना है कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है और कानून के स्थापित मानदंडों का पालन किए बिना पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाई है कि दिनांक 03.03.2016 के आवेदन को न तो सत्यापित किया गया और न हीं हलफनामा दिया गया। यहां तक कि पक्षकारों द्वारा कोई *वकालतनामा* भी दाखिल नहीं किया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का पूरी तरह से उल्लंघन करके एवं आवेदकों या मुकदमा के सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए बिना, विवादित आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदकों के पक्ष में ब्याज के उपार्जन को ध्यान में नहीं रखा, जिसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बेशक याचिकाकर्ता के बिक्रेताओं ने प्लॉट नंबर 632 की पूरी जमीन बेच दी है, जो उन्हें समझौता डिक्री में आवंटत की गई थी और इस तरह से इस याचिकाकर्ता ने इन विक्रेतओं के स्थान पर कदम रखा है और उसे कानून के अनुसार अपने मामले का बचाव करने का पूरा अधिकार है।

5. याचिकाकर्ता को विवादित आदेश के बारे में तभी पता चला जब स्वत्व वाद संख्या 169/2013 के वादी ने दिनांक 05.04.2016 के आदेश के आधार पर दिनांक 02.06.2017 को संशोधन के लिए याचिका दायर की और विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.08.2017 के आदेश के तहत उक्त याचिका को स्वीकृति दे दी। याचिकाकर्ता को समझौता डिक्री में सुधार के लिए दाखिल याचिका का विरोध करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और स्वत्व वाद संख्या 32/1946 को समझौता डिक्री में किए गए संशोधन के आधर पर स्वत्व वाद संख्या 169/2013 में संशोधन की अनुमति देना याचिकाकर्ता के हित के लिए अत्यधिक प्रतिकूल होगा जिसके परिणामस्वरूप अपूरणीय क्षति/चोट होगी। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आदेश संधारणीय नहीं है और इसे रदद करने की आवश्यकता है।

6. प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मिस्टर जे. एस. अरोड़ा ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने या उसे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता के पास कोई *अधिकार क्षेत्र* नहीं है और वह मूल मुकदमे यानी बंटवारा वाद संख्या 32/1946 में पक्षकार नहीं था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

ने आगे कहा कि यह कहना गलत है कि अन्य पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया और मामले में उनकी बात नहीं सुनी गई। मूल प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 ने प्रतिवादी संख्या 5 के साथ मिलकर दिनांक 24.08.2013 को संहिता की धारा 151 के साथ धारा 152 के तहत संयुक्त रूप से एक याचिका दाखिल किया था जिसे विविध मामला संख्या 38/2013 के रूप में क्रमांकित किया गया था एवं उसी अधिवक्ता का *वकालतनामा* प्रस्तुत किया जो वर्तमान मामले मे पेश हुआ था। कानूनी सलाह पर, विविध मामला वापस ले लिया गया और बंटवारा वाद संख्या 32/1946 में एक साधारण याचिका दाखिल किया गया जिसके बाद विवादित आदेश पारित किया गया। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने कभी भी प्रार्थना पर आपत्ति नहीं की। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मूल प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दाखिल याचिका को सही ढंग से स्वीकार किया है और इस संशोधन की आवश्यकता थी ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके जिसके कारण एक डिक्री गैर मौजूद भूमि के संबंध में अस्तित्व में आई। डिक्री में सुधार के लिए संबंधित न्यायालय की शक्तियों के मुददे पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता **नियामत अली मोला बनाम सोनारगॉन हाउसिंग को-ऑप. सोसाइटी लिमिटेड और अन्य** के मामले में निर्णय के पाराग्राफ-19 पर भरोसा करते हैं, जो **ए.आई.आर 2008 एस सी 225** में रिपोर्ट किया गया है, जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः

> *"19. सिविल प्रक्रिया संहिता न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता देती है। यह न केवल संहिता की धारा 152 के तहत परिकल्पित निर्णय या डिक्री के संशोधन तक सीमित है, बल्कि सामान्य रूप से अंतर्निहित शक्ति भी है। न्यायालयों का यह भी कर्तव्य है कि ये देखें कि अभिलेख सत्य है और मामले की सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि, इस बात पर कोई संदेह नहीं हो सकता कि न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह तब भी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है जब डिक्री या आदेश में कोई गलती या चूक नहीं हुई हो। हालाँकि, हमारी राय में, इस प्रावधान को पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय द्वारा डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग के साथ-साथ 151 के तहत भी संशोधित किया जा सकता है। न्यायालय की ऐसी शक्ति अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। "*

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस न्यायालय द्वारा **श्री संतोष कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2012 (3) पी.एल.जे.आर. 120** में रिपोर्ट किए गये मामले में दिये गये निर्णय का हवाला देते हुए इस बात पर बल देते हैं कि संहिता की धारा 152 के तहत

शक्ति का विस्तार हो सकता है और समझौता याचिका में लिपिकीय त्रुटि का सुधार, यहां तक कि एक पक्ष के कहने पर भी, यदि पहचान या वाद संपत्ति विवाद में नहीं है और विवाद के विषय को प्रतिस्थापित नहीं करता है बल्कि वास्तविक मुददे को सुधारने में सहायता करता है।

8. इस प्रकार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा इसे कायम रखने की आवश्यकता है।

9. मैंने प्रतिद्वंदी दलीलों पर गहन विचार किया है और अभिलेख को देखने के बाद, मामले का गंभीर पहलू यह है कि संबंधित पक्षों को कभी भी नोटिस नहीं दिया गया। स्वत्व बंटवारा वाद संख्या 32/1946 में समझौता डिक्री दिनांक 24.02.1951 को पारित की गई थी और लगभग 65 साल बाद, डिक्री में सुधार के लिए प्रार्थना की गई और उसे अनुमति दी गई। आदेश पत्र के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि वाद के पक्षकारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और आदेश केवल मूल प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से उनके अधिवक्ता की सुनवाई के बाद दाखिल याचिका पर पारित किया गया है। यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अन्य पक्ष या तो मौजूद थे या उनका प्रतिनिधित्व किया गया था। यह महत्वहीन है कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने प्रतिवादी संख्या 5 के साथ मिलकर कुछ विविध मामले दायर किये और उक्त विविध मामले में पक्षकारों की जो भी स्थिति रही है, उसका प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा स्वत्व वाद संख्या 32/1946 में दायर आवेदन के निष्पादन पर कोई असर नहीं हो सकता है। इस बिन्दू पर कोई धारणा या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद, जब याचिकाकर्ता सामने आया और वह एक आवश्यक पक्षकार था क्योंकि वह वह व्यक्ति था जो विद्वान विचारण न्यायालय के कार्य से सीधे प्रभावित होने वाला था, क्योंकि वह संबंधित संपत्ति के खरीददार थे, विद्वान विचारण न्यायालय को एक पल के लिए रूककर विचार करना चाहिए था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में अर्जित मूल्यवान अधिकार विद्वान विचारण न्यायालय के जल्दबाजी में किए गये कार्य से कुचले जा रहे हैं। मामले का एक और स्पष्ट पहलू यह है कि सशोधन की मांग करने वाला याचिका न तो सत्यापित है और न हीं हलफनामा है। यहां तक कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भी इस मामले में यह मानकर आगे बढ़ा कि याचिका में जो कुछ भी कहा गया है वह सच है और हलफनामे की आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मेरा विचार है कि विवादित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इस कारण से, मैं मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं करना चाहता। इसी कारण से, वर्तमान मामले में श्री अरोड़ा द्वारा उद्धृत प्राधिकारियों की कोई प्रयोज्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि संहिता की धारा 151 के साथ धारा 152 के तहत ट्रायल कोर्ट की शक्ति मुद्दा नहीं है और इसके अलावा, तथ्य पूरी तरह से अलग हैं जैसा कि ऊपर की गई चर्चा के प्रकाश में प्रतीत होता है।

11. तदनुसार, स्वत्व वाद संख्या 32/1946 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 के विवादित आदेश को रदद किया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए

विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने और पक्षकारों की सुनवाई के बाद एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

12. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकृत किया जाता है।

2017 की विविध दिवानी अधिकारिता मामला संख्या -1825

13. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उप न्यायाधीश-9, गोपालगंज द्वारा स्वत्व वाद संख्या 169/2013 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2017 के खिलाफ दाखिल किया गया है जिसके तहत विद्वान उप न्यायाधीश-9 ने संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत वादी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर दिनांक 02.06.2017 के आवेदन को अनुमति दी थी।

14. संक्षेप में कहा जाय तो मामला का तथ्य यह है कि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादियों के खिलाफ स्वत्व वाद संख्या 169/2013 दाखिल किया था, ताकि यह घोषित किया जा सके कि वादी के पास स्वत्व है और प्रतिवादी के पास मुकदमे वाली भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है और वादी ने आगे यह भी घोषित करने की मांग की कि प्रतिवादी 2 सेट द्वारा प्रतिवादी 1 सेट के पक्ष में निष्पादित दिनांक 16.03.2009 का बिक्री विलेख शून्य, अप्रभावी, निष्क्रिय है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है। वादी का मामला यह था कि उसने मूल प्रतिवादी संख्या-5 द्वारा निष्पादित दिनांक 11.04.2009 के पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से मुकदमे वाली भूमि अर्जित की थी। इसके अलावा वादी का मामला यह था कि उसके दाता ने बंटवारा वाद संख्या 32/1946 में अन्य संपत्तियों के अलावा वाद की अनुसूची 1 में उल्लिखित उक्त संपत्ति अर्जिक की थी, जिसका निपटारा एक समझौते के आधार पर किया गया था। उक्त समझौते में समझौता याचिका की अनुसूची 5(बी) मूल प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से में आवंटित की गई, अनुसूची 5(ई) कौशल कुमार सिंह को आवंटित की गई थी, अनुसूची 5 (एफ) प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 को आवंटित की गई थी और अनुसूची 5 (जी) प्रतिवादी संख्या 4/प्रतिवादी संख्या 4 के पति को आवंटित की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 सेट उपस्थित हुए और वादी के दावे का विरोध करते हुए अपना लखित बयान दाखिल किया। प्रतिवादी संख्या 5/मूल प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा लिखित बयान का एक और सेट दाखिल किया गया, जिन्होंने वादी के मामले का समर्थन करते हुए शिकायत में किए गये कथन को स्वीकार किया। इसके बाद दिनांक 24.02.1951 के समझौता डिक्री की अनुसूची 5 (ई) से प्लॉट संख्या 632 को हटाने की प्रार्थना के साथ संहिता की धारा 152 सहपठित धारा 151 के तहत एक याचिका दाखिल किया गया। उक्त याचिका बंटवारा वाद संख्या 32/1946 के मूल प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा दाखिल की गई थी, जो वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 5/प्रतिवादी संख्या 5 था। बंटवारा वाद संख्या 32/1946 में 05.04.2016 को आदेश पारित होने के बाद, वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने याचिका के आधार में कुछ संशोधन

लाने के एक आवेदन बंटवारा वाद संख्या 32/1946 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 के आदेश के आधार पर पेश किया। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया और पक्षकारों को सुनने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.06.2017 के अपने आदेश के तहत संशोधन के याचिका को अनुमति दे दी।

15. यह बहुत ही स्पष्ट है कि चूंकि संशोधनों को स्वत्व वाद संख्या 32/1946 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 के आदेश के अनुसार समझौता डिक्री में किए गये सुधार के आधार पर अनुमति दी गई है, जिसे इस अदालत के समक्ष सिविल विविध संख्या 382/2018 में चुनौती दी गई है और दिनांक 05.04.2016 के उक्त आदेश को अलग रखा गया है, इसलिए विवादित आदेश का आधार समाप्त हो जाता है। यदि दिनांक 10.01.1951 के समझौता डिक्री में कोई सुधार नहीं है, तो वादी/प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से संशोधन की मांग करने के लिए कोई सामग्री नहीं है और विद्वान विचारण न्यायालय के लिए अपने आदेशों को संशोधित समझौता डिक्री पर आधारित करने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गये तर्क पुरी तरह से 24.02.1951 के समझौता डिक्री में सुधार के तथ्य पर आधारित है।

16. इस कारण से, मामले के गुण-दोष पर आगे विचार किए बिना, दिनांक 01.08.2017 के विवादित आदेश को इस तथ्य के मददेनजर रदद किया जाता है कि स्वत्व वाद संख्या 32/1946 में दिनांक 05.04.2016 का कोई आदेश मौजूद नहीं है।

17. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकृत किया जाता है।

18. तथापि, वर्तमान याचिका का निपटारा पक्षकारों के लिए भविष्य में उनकी चिंताओं के समाधान के लिए संशोधन हेतु याचिका सहित उपयुक्त याचिका प्रस्तुत करने में बाधा नहीं बनेगा।

(अरूण कुमार झा, न्यायामूर्ति)

अनुराधा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।